

उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1
संख्या-बी०एस०-21(1)/60-1-07-1/3(188)/01
लखनऊ दिनांक 23 मार्च, 2007

अधिसूचना

बाल विवाह को रोकने की दिशा में, पूर्व पारित अधिनियम को समाप्त कर, भारत सरकार
"The Prohibition of Child Marriage Act-2006" (दिनांक 11-01-07), जो भारत के राज्य
के असाधारण भाग-II खण्ड-1 में अविस्तुति किया है।

- 2- उक्त अधिनियम के धारा-16(1) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार "बाल विवाह निषेध अधिकारी" (Child Marriage Prohibition Officer) नियुक्त करें।
- 3- The Prohibition of Child Marriage Act-2006 की धारा 16(1) के अन्तर्गत दी गई व्यवस्थानुसार श्री राज्यपाल महोदय जिले में तैनात जिला प्रवेशन अधिकारियों को "Child Marriage Prohibition Officer" नामित करते हैं।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

इलाहिनंदर कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-बी०एस०-21(2)/60-1-07-1/3(188)/01, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- (फैक्स-011-23281495) सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- 2- विशेष सचिव एवं अपर डिप्टी परामर्शी न्याय अनुभाग-2 (अद्यतन न्यायालय)।
- 3- महानिबंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 4- समस्त जिला न्यायाधीश/जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- संपुष्टा सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3।
- 6- निदेशक/दस्ता निदेशक/संपुष्ट निदेशक/उप निदेशक, महिला कल्याण उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद को अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि इसकी एक प्रति आगामी गजट के असाधारण अंक के विधायी परिशिष्ट 'ख' में प्रकाशित कर इसकी 500 प्रतियाँ अनुभाग अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1, बापू भवन, उ०प्र० न्यायालय, लखनऊ को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- समस्त उप मुख्य परिधीन अधिकारी/जिला प्रवेशन अधिकारी, उ०प्र०।
- 9- गार्ड बुक।

आज्ञा।से.

D-7che
4/10/2